न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 395/2024

अनवान : –

1. पवन पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी चाहुवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. ओम पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
2. अशोक कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी चाहुवाली तहसील टिब्बी।
3. जितेन्द्र पुत्र हरबंश जाति जाट निवासी चाहुवाली तहसील टिब्बी।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः –27/05/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता संख्या 539/514 की कुल 5.0600 हैक्ट भूमि में 3/10 हिस्सा भूमि वादी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है व रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता संख्या 310/305 की कुल 2.9980 हैक्ट भूमि तथा रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता 222/237 की कुल 8.8900 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि मुताबिक पारिवारिक समझौता घरेलू बंटवारा के अनुसार निम्न प्रकार से काश्त करते आ रहे है जो कि रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खाता संख्या 539/514 की कुल 5.0600 हैक्ट भूमि में से 3/10 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से में आयी व रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता संख्या 310/305 की कुल 2.9880 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से में आयी व रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता संख्या 222/237 की कुल 8.8900 हैक्ट भूमि के ख0न0 1039/1 की कुल 0.537 हैक्ट, ख0न0 1040/1 की कुल 1.922 हैक्ट, ख0न0 723/1 की कुल 0.411 हैक्ट, ख0न0 724/1 के मिन उत्तर की 1.575 हैक्ट कुल 4.445 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के बहिब हिस्से में आयी व ख0न0 687/1 की 2.226 हैक्ट, ख0न0 724/1 के मिन दक्षिण की 2.219 हैक्ट कुल 4.445 हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के हिस्से में आयी उपरोक्तानुसार ही वादी व प्रतिवादीगण काश्त करते चले आ रहे है। वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:28:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 4 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के मध्य बाहमी बंटवारा हो चुका है मुताबिक बंटवारा खाता व लगान अलग करवाना चाहते है प्रतिवादी स0 1 ता 3 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति/खाता विभाजन का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता संख्या 539/514 की कुल 5.0600 हैक्ट भूमि में 3/10 हिस्सा भूमि वादी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है व रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता संख्या 310/305 की कुल 2.9980 हैक्ट भूमि तथा रोही मौजा [illegible] तहसील नोहर के खाता 222/237 की कुल 8.8900 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि वाद भूमि बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण का बाहमी बंटवारा हो चुका है मुताबिक

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:28:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बाहमी बंटवारा खाता व लगान अलग करवाना चाहते है प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता संख्या 539/514 की कुल 5.0600 हैक्ट भूमि में 3/10 हिस्सा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता संख्या 310/305 की कुल 2.9980 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता संख्या 222/237 की कुल 8.8900 हैक्ट भूमि के ख0न0 1039/1 की कुल 0.537 हैक्ट, ख0न0 1040/1 की 1.922 हैक्ट, ख0न0 723/1 की 0.411 हैक्ट, ख0न0 724/1 के मिन उत्तर की 1.575 हैक्ट कुल 4.445 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब के तथा ख0न0 687/1 की 2.226 हैक्ट, ख0न0 724/1 के मिन दक्षिण की 2.219 हैक्ट कुल 4.445 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरिया नक्शा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27/05/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:28:31 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 395/2024
अनवान : –

1. पवन पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी चाहुवाली तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

– वादी

बनाम्

1. ओम पुत्र मनफुल जाति जाट निवासी सिरंगसर तहसील नोहर।
2. अशोक कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी चाहुवाली तहसील टिब्बी।
3. जितेन्द्र पुत्र हरबंश जाति जाट निवासी चाहुवाली तहसील टिब्बी।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 395 सन 2024 निर्णय दिनांक –27/05/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता संख्या 539/514 की कुल 5.0600 हैक्ट भूमि में 3/10 हिस्सा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा रोही मौजा सिरंगसर तहसील नोहर के खाता संख्या 310/305 की कुल 2.9980 हैक्ट भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 3 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है एवं रोही मौजा ढाणी रायकान तहसील नोहर के खाता संख्या 222/237 की कुल 8.8900 हैक्ट भूमि के ख0न0 1039/1 की कुल 0.537 हैक्ट, ख0न0 1040/1 की 1.922 हैक्ट, ख0न0 723/1 की 0.411 हैक्ट, ख0न0 724/1 के मिन उत्तर की 1.575 हैक्ट कुल 4.445 हैक्ट भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 को बहिब के तथा ख0न0 687/1 की 2.226 हैक्ट, ख0न0 724/1 के मिन दक्षिण की 2.219 हैक्ट कुल 4.445 हैक्ट भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरिया नक्शा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 27/05/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.06.19 18:28:31 IST
Reason: SelfAttested